



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274362
CG-DL-E-10072026-274362

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 555]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

सं. 28/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 613.— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. 8/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 05 फरवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. संख्या 147 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में शर्त (6) में,- पहले परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"इसके अलावा बशर्ते कि किसी विशेष मामले में दो वर्ष की उक्त अवधि, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, बोर्ड द्वारा ऐसी और अवधि तक बढ़ाई जा सकती है जिसे वह उचित समझे:";

दूसरे परंतुक में, "इसके अलावा बशर्ते कि" के स्थान पर "बशर्ते यह भी कि " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-15021/58/2026-आईसीडी-सीबीआईसी]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. संख्या 147(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 7 फरवरी, 2019 के तहत संशोधन किया गया है जिसे सा.का.नि. संख्या 98 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2019 के तहत किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

No. 28/2026-Customs

G.S.R. 615(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2016-Customs, dated the 5th February, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 147(E), dated the 5th February, 2016, namely:—

In the said notification, in condition (6), — after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided further that in any particular case, the aforesaid period of two years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Board by such further period as it may deem fit.”;

In the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided also that" shall be substituted.

[F. No. CBIC-15021/58/2026-ICD-CBIC]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 8/2016-Customs, dated the 5th February, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (I), *vide* number G.S.R. 147(E), dated the 5th February, 2016 and was last amended *vide* notification No. 4/2019-Customs, dated 7th February, 2019, *vide* number G.S.R. 98 (E), dated the 7th February, 2019.